(प्रपत्र—1) उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम तहसील सदर मेरठ।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परितृत्वीय प्रनाण-पत्र प्रमाण-पत्र संख्या-____/प्रति लिपिक

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मान्य

विस्ताय वर्ष 2021—22 क लिए मान्य
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी प्राम/करवा के अधिक रूप से कम के अधिक रूप से कम के अधिक रूप परिवार के स्वामित्व में निम्निलिखित में से कोई भी परिसम्पित नहीं है:—
।. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इसके ऊपर।
II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इसके अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
III. अधिसूचित नगर पालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
IV. अधिसूचित नगर पालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
 श्री/श्रीमती/कुमारी
—िकिया गया।
पाला हरीन मुंदरी यु मा. मेहरी निवासी
88 20 10 21181 2121 2 JAID 89-3 OD
ट्राप्ण क्रेन अम्ह्लिश नहीं के हिणड हेल्से हस्ताक्षर
पाछ शियकार द्यां का स्तापर अविवा (कार्यालय की मुहर सहित)
पूरा नाम पह नाम प्राप्त नाम प्राप्त नाम प्राप्त नाम प्राप्त नाम प्राप्त नाम प्राप्त नाम प्राप
जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मिजस्ट्रेट / परगना मिजस्ट्रेट / तहसीलदार।
क्षेत्र-सिसीनी

Government of (Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME	&	ASSEST	CERTIFICATE	TO.	BE	PRODUCED	BY	ECONOMICALLY	WEAKER
SECTION	S								(2)

SECTIONS
Certificate No. 216
VALID FOR THE YEAR
This is to certify that Shri/Smt./Kumari son/daughter/wife of permanent resident of 88 2000 (Nillage/Street on the State/Union Territory permanent resident of 88 2000 (Nillage/Street on the State/Union Territory in the State/Union Territory in the State/Union Territory permanent resident of 88 2000 (Nillage/Street on the State/Union Territory in the State/Un
816 E.W.S GIR UNIO (1) 2941 05
Signature with seal of Office Name Designation Designation
Re atti the of

*Note1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

G. Siessaran

^{**}Note 2:The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

^{***}Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.